| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 09.08.2018 | **न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।**<br><br>**आदेश**<br>**विविध वाद संख्या– 08/2018–19**<br>**धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता**<br>**विजय प्रसाद सिंह ———— प्रथम पक्ष**<br>**बनाम**<br>**कमलेश यादव ———— द्वितीय पक्ष**<br><br>यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, हरिहरगंज के अप्राथमिकी संख्या–39/18 दिनांक 11.06.2018 के आधार पर धारा 144 दं0प्र0सं0 अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रक्रिया की भूमि मौजा–पड़रिया के खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 61, रकबा– 14 डी0 जिसकी चौहद्दी उतर– नीज, दक्षिण– रामविलाश सिंह, पूरब– रोड, पश्चिम– नीज एवं देवनारायण राम का जमीन से संबंधित है। तद्नुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उनसे कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।<br><br>प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम– पड़रिया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू के खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 61, रकबा– 0.14 एकड़ भूमि के ऊपर बृजबिहारी प्रसाद सिंह पिता– स्व0 श्यामबिहारी प्रसाद सिंह, ग्राम– | P.N. 012 19-9-18<br>P.N. 24/26-10-18 |

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आ का टि सं |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |

नामूदाग का सम्पूर्ण हक दखल – कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार था। बृजबिहारी प्रसाद सिंह ने निबंधित विकय पत्र के द्वारा दिनांक 15.04.1963 ई0 को प्रथम पक्ष के विजय प्रसाद सिंह के पक्ष में इस वाद की भूमि को विकी कर दिये जिसके अनुसार इस वाद भूमि के ऊपर प्रथम पक्ष को दखल– कब्जा स्थापित हुआ और विकय पत्र के आधार पर प्रथम पक्ष के पक्ष में इस वाद के भूमि का जमाबंदी संधारण हुआ तथा प्रथम पक्ष खरिदगी के समय से सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि द्वितीय पक्ष को कभी भी इस वाद के भूमि से कभी कोई सरोकार एवं संबंध नहीं रहा है। द्वितीय पक्ष बल पूर्वक इस वाद के भूमि से प्रथम पक्ष को बेदखल करना चाहते हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मौजा– पड़रिया, खाता सं0– 01, प्लॉट सं0– 61, रकबा– 0.14 एकड़ भूमि गत सर्वे खतियान में बाकस्त लगान पानेवाला दर्ज है। उपरोक्त भूमि श्याम बिहारी सिंह ने अपने बराहिल मोहन यादव को घर बनाकर रहने के लिए दिये थे और मोहन यादव को पैसा देकर प्लॉट सं0– 61 पर दो कमरा ईंट एवं खपड़ैल का बनाये थे और खाली जमीन के कुछ भाग में कमरा के सामने खपड़ैल का ढाबा लगाये थे तथा खाली जमीन मोहन यादव घरबारी के रूप में उपयोग करते थे। उक्त भूमि पर कमलेश यादव के पिता का

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | शांतिपूर्वक दखल–कब्जा रहा तथा उनके मृत्यू के उरांत उनके पुत्र कमलेश यादव का दखल–कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी को प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है जो छत ढालने तक पूर्ण हो चुका है केवल छत ढालना बाकी है। प्रथम पक्ष के द्वारा मकान का निर्माण कार्य को अवरूध करने के लिए यह मुकदमा न्यायालय में लाया गया है। विजय प्रसाद सिंह पिता– स्व0 भुनेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम– पड़रिया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू के निवासी नहीं हैं। विजय प्रसाद सिंह का प्रकिया भूमि पर कभी दखल– कब्जा नहीं रहा है। मदनमोहन सिंह पिता– स्व0 भुनेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा विविध वाद सं0– 59/2003 धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत वाद विपक्षी के पिता वगैरह के विरूद्ध एवं विपक्षी के विरूद्ध वाद दायर किया गया था जो न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। अतः द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्गत नियम रिक्त तथा प्रथम पक्ष को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोका जाय।<br><br>प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में निबंधित केवाला कि छायाप्रति एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किये हैं।<br><br>उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख के साथ संलग्न कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत पाया कि प्रथम पक्ष का दावा ठोस | |

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश कार्रवाई टिप्पणी सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |

ठोस दस्तावेजों पर आधारित है वहीं द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में कोई भी ठोस राजस्व दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। अतः प्रक्रियान्तर्गत निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

9/8/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

9/8/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:25:59 +05:30
Location: 192.168.1.13